भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 8
उत्तर देने की तारीख 20.07.2023

कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय और केनरा बैंक के बीच हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन

8. श्री कार्तिकेय शर्मा :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय और केनरा बैंक के बीच हाल ही में हस्ताक्षर किए गए सहमति ज्ञापन का ब्यौरा क्या है;
(ख) मंत्रालय और केनरा बैंक के बीच हस्ताक्षर किए गए सहमति ज्ञापन में कौन-कौन से विशिष्ट वित्तीय सहायता कार्यक्रम अथवा योजनाएं शामिल हैं;
(ग) इन पहल को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा और वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कलाकारों के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु किन-किन मानदंडों का उपयोग किया जाएगा;
(घ) इस सहमति ज्ञापन के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले कलाकारों की संख्या और आवंटित की गई वित्तीय सहायता की धनराशि के संदर्भ में अपेक्षित परिणाम या निर्धारित किए गए लक्ष्य क्या हैं; और
(ड.) इस सहयोग के अंतर्गत आबंटित निधि में पारदर्शिता और उनका कुशलपूर्वक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

(जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): "वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम" जिसे पहले "कलाकारों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता की स्कीम" के नाम से जाना जाता था, के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के संवितरण हेतु मंत्रालय और

केनरा बैंक के बीच दिनांक 28.06.2023 को सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग): इस सहमति ज्ञापन के अनुसार, मंत्रालय द्वारा चयनित लाभार्थियों के नए तथा पुराने (लेगेसी डाटा) दोनों मास्टर डाटा को केनरा बैंक द्वारा इस प्रयोजनार्थ विकसित किए जाने वाले ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। स्कीम दिशानिर्देशों के आधार पर केनरा बैंक को निधियों की तिमाही आवश्यकता का आकलन करना और उसी के लिए मंत्रालय के समक्ष मांग प्रस्तुत करना अपेक्षित है। केनरा बैंक से निधियों की मांग प्राप्त होने पर, मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर अग्रिम रूप से बैंक को यह धनराशि जारी की जाएगी ताकि इस राशि को मासिक आधार पर पात्र लाभार्थियों को जारी किया जा सके। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वे कलाकार जिन्होंने अपनी सक्रिय आयु में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में योगदान दिया है और जिनकी वार्षिक आय 48,000/- रुपये से अधिक नहीं है, वे या तो संबंधित सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के कला एवं संस्कृति विभाग अथवा क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र के माध्यम से उक्त स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

(घ): पात्र लाभार्थियों को मासिक आधार पर वित्तीय सहायता जारी करना केनरा बैंक के साथ हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन के उद्देश्यों में से एक है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान में 26.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(ङ.): पारदर्शिता और निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु, स्कीम दिशानिर्देशों में, चयनित लाभार्थियों के खाते में राशि के सीधे अंतरण का प्रावधान किया गया है।

****